(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1106–एक/2013 विरूद्ध आदेश 19–2–2013 – पारित – व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 119/2010–11 निगरानी

1– रामचन्द पुत्र गेंदीलाल माली
मृत वारिस
(1) श्रीमती द्वारकावाई पत्नि स्व.रामचंद माली
(2) कु0दीपा पुत्री स्व.रामचंद माली
(3) देवेन्द्र पुत्र स्व. रामचंद माली
दोनों अल्पवयस्क सरपरस्ता माता द्वारकावाई
2– प्रदीप पुत्र गेंदीलाल माली
सभी निवासी ग्राम विरमपुरा तहसील श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर --असल अनावेदक
2– सलीम पुत्र बाबूखॉ
3– अमानत पुत्र अहमद
4– नफीस पुत्र मोवीन
5– अॅशार पुत्र जलालुद्धीन
6– खलीलमोहम्मद पुत्र रहमतुल्ला
सभी निवासी ग्राम बगवाज तहसील श्योपुर
7– मलखान 8– मुरारी 9– रामसिंह
10–परिमाल पुत्रगण रामकिशन माली
11–रामप्रसाद पुत्र रामगोपाल
12–बॅशीलाल पुत्र अमरलाल
13–कल्याणी पुत्री घासीलाल
14–कैलाश पुत्र भैरू
15–सियाराम पुत्र भेरू
16–प्रकाश पुत्र भैरू
17–राधेश्याम पुत्र गोपाल माली
18–विष्णु पुत्र शॅभूनाथ
19–शॅभू पुत्र रामलाल वैश्य
सभी निवासी ग्राम विरमपुर तहसील श्योपुर --तरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क्र-1 के पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)
(तरतीवीं अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 21-4-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 119/2010-11 निगरानी में पारित आदेश 19-2-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 4-4/2003 / सात/2-ए दिनांक 10 अप्रेल, 2003 से निर्देश जारी किये गये कि बेहड़ भूमि समतलीकरण के उद्धेश्य से कृषि कार्य करने हेतु बेहड़ भूमि का आबंटन किया जावे। ग्राम बीरमपुरा में बेहड़ होने एंव बेहड़ भूमि पर पूर्व से अतिकमण कर कृषि करते आ रहे कृषकों की जानकारी बुलाने पर तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 19/2004-05 अ-19 पंजीबद्ध किया तथा एक से दो मीटर गहराई वाले बेहड़ों वावत् हलका पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक से सर्वे सूची प्राप्त की गई। सूची प्राप्त होने पर तहसीलदार श्योपुर ने ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर अतिक्रामकों को बेहड़ भूमि बन्टन वावत् अभिमत मॉगा, जो ग्राम पंचायत समेल्दा हवेली ने प्रस्ताव/ठहराव प्रस्तुत कर बेहड़ भूमि आवंटन पर सहमति व्यक्त की। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण में जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16-6-2005 पारित किया तथा रामचंद पुत्र गेंदी

लाल माली को ग्राम बीरमपुरा को बेहड़ भूमि सर्वे कमांक 198/22 मिन रकबा 7 वीघा 10 विसवा तथा प्रदीप पुत्र गेंदीलाल माली को सर्वे कमांक 198/2 मिन रकबा 4 वीघा 7 विसवा, सर्वे कमांक 227 मिन रकबा 3 वीघा 5 विसवा तथा तरतीवीं अनावेदक कमांक 2 लगायत 19 को भी बेहड़ भूमि का आवंटन कर दिया।

श्री शफी मोहम्मद अंसारी एडव्होकेट ने तहसीलदार श्योपुर के भूमि बंटन आदेश दिनांक 16-6-2005 में अनियमिततायें करने एंव अपात्र व्यक्तियों को भूमि बन्टन करने वावत् शिकायत प्रस्तुत की। इस पर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 6/2009-2010 पंजीबद्व किया एंव आवंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदकगण एंव तरतीवीं अनावेदक कमांक 8, 12, 14, 18, 19 ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष स्वमेव निगरानी बेरूम्याद प्रस्तुत करने के कारण निरस्त करने की आपत्ति की तथा शिकायतकर्ता ने भी आवेवदन प्रस्तुत कर आवेदकगण एंव तरतीवीं अनावेदक क्र. 8, 12, 14, 18, 19 के परिवार में पूर्व से धारित भूमियों की जॉच कराने की मांग की। कलेक्टर श्योपुर ने हितबद्धों को श्रवणोपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 18-3-11 पारित किया तथा दोनों पक्षों के आवेदन निरस्त कर दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण द्वारा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 119/2010-11 निगरानी में पारित आदेश 19-2-2013 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार योग्य है कि तहसीलदार श्योपुर के बेहड़ भूमि आबंटन आदेश दिनांक 16-6-2005 के विरूद्ध कलेक्टर श्योपुर ने शिकायतकर्ता श्री शफी मोहम्मद अंसारी एडव्होकेट के शिकायती आवेदन पर वर्ष 2010 में स्वमेव निगरानी दर्ज की है तब क्या स्वमेव निगरानी किसी पक्षकार के आवेदन पर ग्राह्य कर सुनवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल व्दारा जारी ज्ञाप क्रमांक एफ 16-24/सात/सा-2-ए/91 दिनांक 8-8-91 इस प्रकार है :-

विषयः-राजस्व पुस्तक परिपत्र चार(3)की कंडिका 30(1) में सॅशोधन

1- **"राजस्व पुस्तक परिपत्र चार(3)की कंडिका 30(1)में भूमि आवंटन के आदेशों के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इस कंडिका के अनुसार अपील करने का अधिकार प्रश्नाधीन भूमि से लगी हुई भूमि के काश्तकार, संबंधित ग्राम पंचायत तथा ऐसे व्यक्ति जिसे वह भूमि-आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन होने के समय लम्बित रहा हो, को होगा।**

2- **शासन के ध्यान में यह बात आई है कि अक्सर ऐसा होता है कि विधिवत् उद्घोषणा इत्यादि न होने के कारण कई व्यक्ति आवेदन पत्र नहीं दे पाते हैं वर्तमान प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।**

विचाराधीन प्रकरण में अपील/निगरानी की स्थिति समान है क्योंकि कलेक्टर श्योपुर ने श्री शफी मोहम्मद अंसारी एडव्होकेट के

शिकायती आवेदन पर वर्ष 2010 में स्वमेव निगरानी दर्ज की है एंव शासन के पैनल लायर यह समाधान नहीं करा सके इस शिकायतकर्ता का तहसीलदार के समक्ष भूमि बंटन हेतु कोई आवेदन लम्बित रहा है अथवा शिकायतकर्ता के आवंटित भूमि से क्या सम्बन्ध रहे हैं, परन्तु कलेक्टर श्योपुर ने उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार के बेहड़ भूमि आवंटन के 5 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी विलम्ब से दर्ज की है । आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के कई वर्षो पूर्व से सूखी खेती करते आ रहे थे एंव उनका कई वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा था। तहसीलदार श्योपुर के बेहड़ भूमि आबंटन आदेश दिनांक 16-6-2005 से भूमिस्वामी बनने के वाद आवेदकगण ने श्रम व धन खर्च करके बेहड़ों को समतल करके कृषि योग्य बना लिया है तथा सिंचाई के साधन में काफी धन खर्च कर दिया, यदि उनसे भूमि वापिस ले ली जाती है तो आवेदकगण को अपरिमित क्षति होगी । यदि आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किस उपबंध के उल्लघॅन में कार्यवाही वावत् जानकारी कब प्राप्त हुई - 180 दिवस के वाहर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। (आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध म.प्र.राज्य तथा एक अन्य तथा 2010 रा.नि. 409 = 2010(3) JLJ 77 (पूर्णन्यायपीठ) से अनुसरित

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 50 - भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित

विचाराधीन निगरानी प्रकरण में भी उपरोक्तानुसार स्थिति है क्योंकि कलेक्टर श्योपुर व्दारा दर्ज स्वमेव निगरानी अवधि-वाधित होकर असम्बद्व पक्षकार के आवेदन पर आधारित है और आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 119/2010-11 निगरानी में आदेश 19-2-2013 पारित करते समय इन तथ्यों पर पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 119/2010-11 निगरानी में पारित आदेश 19-2-2013 एंव कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 6/2009-10 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-3-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 19/2004-05 अ-19 में पारित बेहड़ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 16-6-2005 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर